हरियाणा भूमि अधिग्रहण और विकास निगम लिमिटेड

बनाम

निर्मल कुमार

10 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.]

राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 - नियम 77 छंटनी - औद्योगिक विवाद लगभग 6 साल बाद उठा मे - श्रम न्यायालय ने कहा कि छंटनी नियम का उल्लंघन था - बहाली और 50 प्रतिशत पिछले वेतन के लिए निर्देश – पंचाट की एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई - अपील पर अभिनिर्धारितः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियोक्ता भारी नुकसान से ग्रस्ति था, पिछला वेतन रू10,000/- तक सीमित - औद्योगिक विवाद के निर्देश की मांग में देरी पर विचार करना, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - नियम 10 - विलम्ब।

प्रत्यर्थी - कर्मचारी ने एक दावा याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी सेवाओं को अवैध रूप से हटा दिया गया था। श्रम न्यायालय ने कहा कि छंटनी राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम 1958 के नियम 77 का उल्लंघन था। इसने निर्देश की तारीख से 50% पिछले वेतन के साथ कामगार की बहाली का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश द्वारा पंचाट के खिलाफ रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को स्थिर रखा।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी-प्रबंधन ने तर्क दिया कि वित्तीय घाटे के कारण छंटनी की गई थी और विवाद उठाने में देरी हुई थी।

न्यायालय ने, अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित

1. जहां तक निर्देश मांगने में देरी का प्रश्न है, सार्वभौमिक प्रयोज्य का कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। [पैरा 6] [3-जी]

नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के. पी. माधवनकुट्टी 2002 (2) एससीसी 455; एस. एम. नीलाजकर बनाम दूरसंचार जिला प्रबंधक 2003 (4) एस. सी. सी. 27 एवं सहायक अभियन्ता, सीएडी बनाम धन कुंवर (2006) 5 एस. सी. सी. 481- निर्देशित।

2. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी-प्रबंधन को 1990 के बाद से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। वास्तव में, यह पहलू श्रम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और स्वीकार कर लिया गया है, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पिछली मजदूरी Rs.10,000/- तक सीमित किया गया। [पैरा 10 और 11] [5-एच, 6-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 3961 सन 2006

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा डी.बी. सिविल अपील सं. 762 सन 2000 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22.7.2003 से।

रविकेश के. सिन्हा, वरुणा भंडारी गुगनानी और टी. महिपाल अपीलार्थी की ओर से।

सतबीर सिंह पिल्लानिया, डॉ. सुशील बलवाड़ा, धनंजय कुमार त्यागी और अनिल कर्णवाल प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा परिदत्त किया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एक खंड पीठ द्वारा विशेष अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान अध्यादेश 1949 को खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। आलौच्य निर्णय द्वारा खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी-कामगार ने एक दावा याचिका दायर की और अपने द्वारा उठाए गए विवाद को श्रम न्यायालय में निर्देशित करने की मांग की। समुचित सरकार ने मामले को न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालय हनुमानगढ़ को निर्देशित किया। दावा याचिका में प्रत्यर्थी कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसे अपीलार्थी ने चौकीदार-सह-चपरासी के रूप में नियुक्त किया

था और उसकी सेवाओं को अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से 18.07.91 को हटा दिया गया।

श्रम न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने दावे पर चर्चा करने का अवसर देने के बाद और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 77 का उल्लंघन करके प्रत्यर्थी-कर्मचारी की सेवाओं में छंटनी की गई थी। श्रम न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी द्वारा छंटनी का जो कारण बताया गया, उसमें प्रत्यर्थी-कामगार द्वारा कुछ राशि का गबन किया गया था, अपीलार्थी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर रिट याचिका दायर की। रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 21.7.2000 को खारिज कर दी गई क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश को श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी दैनिक वेतन के आधार पर 15.8.1988 पर नियुक्त किया गया था और वित्तीय नुकसान के कारण 18.7.1991 उसे हटा दिया गया था। यह स्थिति स्वीकृत है। प्रत्यर्थी ने वर्ष 1997 में अत्यधिक विलंब से दावा उठाया और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 10

के तहत 20.2.1997 को श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक व्यावहारिक गैर-तर्कपूर्ण आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट अपील खारिज कर दी गई थी।

4. प्रकरण में पंचाट 6.11.1997 को हुआ और पुनः बहाली का व निर्देश की तारीख से 50% तक सीमित पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया था।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी का तर्क यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा विवाद देरी से उठाया गया था और केवल उसी आधार पर निर्देश को खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया। यह ध्यान देने योग्य है कि नोटिस जारी करते समय न्यायनिर्णयन का दायरा पिछले वेतन की मात्रा तक सीमित था।

6. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जहां तक निर्देश मांगने में देरी का प्रश्न है, सार्वभौमिक प्रयोज्य का कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

7. हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के. पी. माधवनकुट्टी (2002) (2) एससीसी 455, में पैरा 6 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः (एससीसी पीपी. 459-60)

"6. अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कानून समुचित सरकार के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और उन मामलों को पुनर्जीवित करें जो पहले ही सुलझ चुके थे। शक्ति का प्रयोग यथोचित और तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। हमें ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिखता जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश के लगभग सात साल बीत जाने के बाद इस मामले में शक्तियों का प्रयोग किया हो। जिस समय निर्देश दिया गया था उस समय कोई औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं था या यहां तक कि कहा जा सकता था कि इसकी आशंका थी। एक विवाद जो पुराना है वह अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्देश का विषय नहीं हो सकता है। किसी विवाद को कब पुराना कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाेंं पर निर्भर करेगा। जब मामला अंतिम हो गया है, तो हमें यह असंगत प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्देश दिया जाए। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि उस समय कोई विवाद लंबित नहीं था जब प्रशनगत निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा केवल यह आधार दिया गया था कि दो अन्य सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया। किन परिस्थितियों में उन्हें बर्खास्त किया गया और बाद में बहाल किया गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

औद्योगिक विवाद उठाने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई मांग प्रथम दृष्टया खराब और अक्षम थी।"

8. एस. एम. नीलाजकर बनाम दूरसंचार जिला प्रबंधक [2003 (4) 27], स्थिति को निम्नानुसार दोहराया गया था (एस. सी. सी. पीपी में 39-40, पैरा 17) :

"17. प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थियों द्वारा विवाद उठाने में देरी के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को अनुतोष देने से इनकार करना न्यायोचित था। हम सहमत नहीं हो सकते। यह है सत्य है, जैसा कि शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम कामगार [(1960) 1 एससीआर 150] में अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में विवाद उठाने के लिए एक सीमा का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद किसी भी समय और देरी और उसके कारणों की परवाह किए बिना उठाया जा सकता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण में विवादों के निर्देश के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है; फिर भी यह उचित है कि विवादों के उत्पन्न होने के बाद और सुलह की कार्यवाही विफल होने के बाद उन्हें यथाशीघ्र निर्देशित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब विवाद श्रमिकों के थोक उन्मोचन से संबंधित हों। शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन (उपर्युक्त) मामले में अधिकांश पुराने कामगारों की पुनः नियुक्ति के बाद भी विवाद को उठाने में

4 साल की देरी को घातक माना गया था। नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम केपी माधवनकुट्टी (उपर्युक्त) 1 में 7 साल की देरी को घातक माना गया और श्रमिकों को किसी भी अनुतोष से वंचित कर दिया गया। रतन चंद्र सामंता बनाम भारत संघ [1993 अनुपूरक (4) एससीसी 67] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता द्वारा छंटनी किया गया एक आकस्मिक मजदूर देरी से खुद को कानून में उपलब्ध उपचार से वंचित कर देता है; समय चूकने से उपचार भी खो जाता है और अधिकार भी। देरी निश्चित रूप से घातक होगी यदि इसके परिणामस्वरूप निर्णय से सूसंगत सारवान साक्ष्य खो जावे और उपलब्ध नहीं हो। हालाँकि, हमें नहीं लगता कि हस्तगत मामले में देरी इतनी दोषी है कि अपीलार्थीओं को किसी भी अनुतोष से वंचित किया जा सके। यद्यपि उच्च न्यायालय की राय है कि विवाद को अधिकरण के समक्ष उठाने में 7 से 9 साल की देरी हुई, लेकिन हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अपीलार्थीओं का रोजगार 1985-86 या 1986-87 में किसी समय समाप्त कर दिया गया था। डेली रेटेड कैजुअल लेबर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [1988 (आई) एससीसी 67 के फैसले के अनुसार विभाग अनियत मजदूरों को समायोजित करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा था और अपीलार्थीओं को उसके परिणाम का इंतजार करना उचित था। 16-1-1990 को उन्हें योजना में समायोजित करने से इंकार कर दिया गया। 28-12-1990 को उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की,

जिसके बाद सुलह की कार्यवाही की गई और फिर विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में भेजा गया। हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी देरी के आधार पर गैर-दावाकृत होने के पात्र हैं।

9. उपरोक्त स्थिति को ए. एस. एस. टी. में उजागर किया गया था। सहा. अभियन्ता, सीएडी बनाम धन कुंवर, (2006) 5 एस. सी. सी. 481।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी 1990 के बाद से भारी नुकसान से पीड़ित था। वास्तव में, इस पहलू का उल्लेख श्रम न्यायालय द्वारा किया गया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

11 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम पिछला वेतन 10,000/- रुपये तक सीमित करते हैं, जिसे आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना है, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है।

12 उपरोक्तानुसार अपील का निपटारा बिना किसी खर्च आदेश के किया जाता है।

याचिका निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।